तक बढ़ाने का निवेदन किया।
पत्रावली का अवलोकन किया प्रत्यार्थी में दिनांक 05/07/2020 को पारित स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी दिनांक 23/03/2020 तक बढ़ाया जाता है। पत्रावली पूर्व निर्धारित दिनांक 23/03/2020 को पेश हो।

24/12/20

24.6.2020 पत्रावली में लॉकडाउन के कारण दि. 24.4.2020 एवं तत्पश्चात दि. 30.6.2020 तारीख पेशी ऑनलाईन मुकर्रर कर दी गई थी। पत्रावली वकील प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर पेश की गई, जो मुख्यालय जोधपुर हाजिर आए। प्रार्थीगण के उक्त अधिवक्ता श्री ओमाराम व ओंकाराम उपस्थित। मामले में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र "पत्रावली तलब कर प्रकरण विड्रोल करने" पेश हुआ है। उक्त उपस्थित वकीलगण ने इस प्रार्थना-पत्र को अपीलांट पक्ष द्वारा राजीनामा हो जाने के कारण प्रस्तुत करना जाहिर कर मामले को जरिये विड्रोल खारिज करने का निवेदन किया। मामले में राजीनामा के बारे में प्रार्थिया खम्माडेवी पत्नी डूंगरचंद से बात करने का कहने पर मुझे 8890672010 पर बात करने का निवेदन किया। मैंने मेरे मो. नं. 9414452111 के जरिये उक्त नंबरों पर खम्माडेवी से वार्ता कर उनको राजीनामा हो जाने बाबत पूछा। उसने स्वीकार किया कि यह प्रार्थना-पत्र उसके द्वारा पेश करने हेतु अं. निशान लगाकर वकील श्री ओमाराम को दिया था। मामले में राजीनामा हो चुका है, इसकी पुष्टि उसने वार्ता में की। स्वयं के पैर की हड्डी टूट जाने के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थता जताई। लिहाजा प्रार्थना-पत्र सद्भाविक होने से स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित किया है कि "उपरोक्त उनवान प्रकरण में लोक अदालत की पवित्र भावना एवं मौजीज लोगों की आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। यह कि मालिकाना राजीनामा

P.T.O

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.6.2020	वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं और न ही कोई विवाद शेष है, यह कि उपरोक्त अपील प्रकरण की तारीख पेशी 30.6.2020 बालोतरा कैम्प कोर्ट में मुकर्रर है। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान प्रकरण जरिये राजीनामा खारिज किया जावे। इस प्रार्थना-पत्र के साथ मूल वाद जो सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष विचाराधीन था, में दिनांक 22.6.2020 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की है जो हुकमीचंद बनाम बाबूलाल कु.नं 15/07 है। इस आदेशिका मुजब भी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में राजीनामा होने से वाद आगे नहीं चलाना चाहते हैं इसलिए "वाद-पत्र वादीगण जरिये विड्रोल खारिज किया जाता है" का आदेश/निर्णय हो चुका है। उपरोक्त परिस्थितियों एवं तथ्यों के मद्देनजर प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर जरिये राजीनामा प्रस्तुत विविध नं 02/2020 मृतक हुकमीचंद का मु. छगनलाल वगैरह बनाम मृतक रामसुख का मु. बाबूलाल वगैरह खारिज किया जाता है। पत्रावली मुकम्मल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर